फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

छोगाराम **बनाम** डूंगाराम वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....32/2023.....सन.....
.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.04.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2022 बउनवान डूंगाराम बनाम किशना वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 डूंगाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जालोर के चक नंबर 3 के नये खसरा नंबर 2334, 2335, 2336 कुल रकबा 6.06 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे पूर्व मे एक वाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त वाद प्रकरण संख्या 83/2013 मे पूर्व मे दिनांक 29.12.2020 को निर्णय हो चुका है। उक्त वाद की समस्त पक्षकारो को जानकारी होते हुए भी वादग्रस्त आराजी के संबध मे नया वाद एंव अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पत्र प्रस्तुत कर जैर अपील आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी पेश कर उक्त वाद नहीं चलने योग्य होने बाबत निवेदन किया गया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र के संबध मे रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी का पूर्व मे बंटवाडा हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को खुदबुर्द करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पत्रावली के साथ हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व मे राजस्व अपील संख्या 07/2021 मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.02.2021 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है। उक्त स्थगन आदेश के अन्तर्गत हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 10.02.2021 को वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जालोर के चक नंबर 3 के नये खसरा नंबर 2334, 2335, 2336 कुल रकबा 6.06 हैक्टेर के संबध मे अंतरिम व्यादेश पारित कर सहायक कलक्टर जालोर द्वारा मुकदमा संख्या 83/2013 बउनवान किशना बनाम छोगा वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 29.12.2020 की पालना व प्रभाव को आगामी पेशी तक स्थगित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। उक्त फोटोप्रति से अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अपील मे वर्णित कथनो को प्रमाणिकता प्रदान होती है। अपीलांट अधिवक्ता इस संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी पेश आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदिनांक तक इस आपत्ति के संबध मे निर्णय पारित नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे पूर्व मे आदेश पारित किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि हाजा न्यायालय की राय मे उचित प्रतीत नहीं होता है। अत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2022 बउनवान डूंगाराम बनाम किशना वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 की पालना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

व प्रभाव को स्थगित किया जाता है

अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उक्त अपील जैर अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है प्रकरण से संबधित मूल आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मे निर्णीत होगा। जिससे उक्त प्रकरण को हाजा न्यायालय के समक्ष मे विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः सहायक कलक्टर जालोर को निर्देशित किया जाता है कि आपके न्यायालय मे प्रकरण से संबधित विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 144/2022 बउनवान डूंगाराम बनाम किशना वगैरा के अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानो की पालना करते हुए एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी पेश उभयपक्षो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। उक्त आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल द्फतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली